न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः— 09/2015

1. अयोध्यादेवी पुत्री जबाली धर्मपत्नि तोतासिंह जाति गोला ठाकुर निवासी ग्राम सोनोठी तहसील रूपवास हाल उच्चैन हाल निवासी सुभाष कोलोनी राधानगर भरतपुर जिला भरतपुर। ....वादिया

बनाम

1. रामेश्वरी धर्मपत्नि पूरन
2. गोपाल पुत्र घीसा(मृतक)
   2/1. गुड्डीदेवी पत्नि गोपाल
   2/2. नरेन्द्र उर्फ पंकज पुत्र गोपाल
   2/3. मनीष नाबालिग जरिये सरपस्त माता गुड्डीदेवी
   2/4. संतोष
   2/5. आरती
   2/6. अनीता
   2/7. रजनी पुत्रीयान गोपाल
   2/8. सौनिया नाबालिग जरिये सरपरस्त माता गुड्डीदेवी
3. चन्दन पुत्र घीसा
4. बुद्धाराम पुत्र टोडू
5. अंगूरी धर्मपत्नि टोडू(मृतक) समस्त जातियान गोला ठाकुर निवासी सौनोठी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53,88,89,188 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट
2. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—26.05.2026**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 255 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा, 273 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा, 301 रकवा 4 बीघा 08 विस्वा, 296 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा, 299 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा, कुल किता 5 कुल रकवा 15 बीघा 17 विस्वा बाके ग्राम सोनोठी तहसील रूपवास हाल उच्चैन के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जबाली पुत्र दौलतराम गोला निवासी ग्राम सोनोठी थे। जबाली ने अपनी मृत्योपरान्त अपने पुत्र घीसा, टोडू व पुत्री अयोध्यादेवी को बतौर वारिसान छोडा एवं जबाली की एक पुत्री हरभेजी और थी

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

जिसका स्वर्गवास हो चुका है। उक्त वर्णित आराजी पैत्रिक है तथा वादिया उक्त आराजीयात में अपना 1/3 हिस्सा का अधिकार रखती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा है तथा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के साथ वादिया सहखातेदार सहकाश्तकार है। वादिया के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 के पिता घीसा व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता टोडू ने राजस्व कर्मचारियों से व ग्राम पंचायत भैंसा के सरपंच से सॉठगॉठ कर अपने नाम उपरोक्त आराजीयात का नामान्तरकरण कागजात पटवार में दर्ज करा लिया जिसकी जानकारी वादिया को प्रतिवादीगण ने नहीं होने दी और प्रतिवादीगण वादिया के साथ सम्मिलित रूप से काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 07.02.2015 को वादिया खडी फसल सरसों गेहूँ देखने के लिए गई तो समस्त प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी में वादिया का हिस्सा देने एवं, विवादित आराजी से वादिया को बेदखल करने एवं विवादित आराजी का बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया एवं विवादित आराजी को अन्य किसी दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी दी। जिसके कारण वादिया ने उक्त वाद पत्र पेश कर विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 एवं दिनांक 13.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 08.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान की ओर से श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उनके विरूद्ध दिनांक 19.03.2019 को अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को दिनांक 8.3.2022 को रद्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी का जवाली पुत्र दौलतराम गोला निवासी सोनोठी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, परन्तु वादिया उक्त खातेदार रहे जबाली की पुत्री नहीं है। जबाली की कुल तीन सन्तान दो पुत्र घीसा व टोडू व एक पुत्री हरभेजी थी। हरभेजी गांव दयोपुरा तहसील व जिला भरतपुर में ब्याही थी, जिसका स्वर्गवास हो चुका है उक्त हरभेजी का एक पुत्र भगवानसिंह जीवित है और उसके दो पुत्र गोविन्दसिंह व हीरासिंह का स्वर्गवास हो चुका है,परन्तु मृत गोविन्दसिंह का पुत्र सूरज व मृत हीरासिंह के पुत्र की एक पुत्री इन्द्रा मौजूद है। जबाली के दोनों पुत्र घीसा व टोडू का भी स्वर्गवास हो गया है, जिन दोनों मृतकों के वारिसान मौजूद है। घीसा के बडे पुत्र पूरन का भी इस दावा दायरी से पूर्व स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादिनी सं0 1 रामेश्वरी पत्नि के अलाबा उसके पुत्र श्री, दिनेश, तथा बबली मौजूद है। वादिया द्वारा प्रदर्शित सजरा गलत व अधूरा है। वादिया ने हम प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी को वनीयत बेईमानी हडपने की गरज से अपने को हमारे पड बाबा जबाली की पुत्री घोषित करने की असफल निराधार कोशिश की है तथा वर्णित सजरा में अपने को हमारे पडबाबा जबाली की पुत्री होना गलत दर्शाया है। विवाद्दित आराजी जवाली को जरिये विरासतन नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने इसे मुकदमा दायर कर जरिये डिक्री प्राप्त किया था

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

जो उनकी स्वअर्जित जायदाद थी। वादिया ना तो पूर्वज जबाली की पुत्री है और ना उसके किसी अन्यथा प्रकार से विवादित आराजी बाबत् किसी हिस्सा आराजी के कोई अधिकार प्राप्त है और ना वह इसकी सहखातेदार अथवा सहकाश्तकार है, और नाही वादिया का विवादित आराजी पर आज तक कभी कब्जा काश्त रहा है और ना किसी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार है। प्रतिवादिया संख्या 1 रामेश्वरी मृतक जवाली के मृतक पुत्र घीसा की पुत्रवधु है और मृतक घीसा के मृतक पुत्र पूरन की पत्नि है जबकि वादिया ने इस मद में पूर्वज घीसा को उक्त प्रति0 संख्या 1 रामेश्वरी का पिता बताया है इसी प्रकार प्रति0 सं0 5 अंगूरी पत्नि टोडू पूर्वज जबाली की पुत्रबधु है और पूर्वज जबाली अंगूरी के ससुर थे जबकि वादिया द्वारा पूर्वज टोडू को उक्त अंगूरी प्रति0 सं0 5 का पिता गलत बताया है। इस प्रकार वादिया को हम प्रतिवादीगण के सदस्यों के आपसी सम्बन्धों की भी कोई जानकारी नहीं है। यदि वादिया पूर्वज जबाली की पुत्री होती तो उसे हमारे परिवारीय सदस्यों की सही जानकारी अवश्य होती अतः स्पष्ट जाहिर है कि वादिया जबाली की पुत्री नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 गोपाल का दिनांक 4.7.2019 को दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया है जिसके हम प्रतिवादीगण संख्या 2/1 लगा0 2/8 विधिक वारिसान है और मृतक प्रति0 गोपाल के तरके पर काबिजान है परन्तु वादिया ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 के हम वारिसान को अन्दर म्याद 90 दिवस रिकार्ड पर लाये जाने हेतु अपनी ओर से अब तक कोई विधिक कार्यवाही नहीं की है। इसी प्रकार प्रति0 संख्या 5 अंगूरी धर्मपत्नि टोडू का भी सन् 2018 में स्वर्गवास हो चुका है जिसकी भी बाबत् वादिया ने अपने वादपत्र में अन्दर म्याद 90 दिवस और न अब तक कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है बल्कि इसके विपरीत वादिया ने न्यायालय श्रीमान को गुमराह करते हुए उक्त मृत प्रतिवादिया संख्या 5 अंगूरी के विरूद्ध दिनांक 19.03.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही करादी है इस तरह उक्त वाद पत्र प्रति0 संख्या 2 व 5 की हद तक उपशमित हो चुका, है। प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वरी धर्मपत्नि स्व0 पूरन के अलावा स्व0 पूरन पुत्र घीसा के वारिसान उसके तीन पुत्र श्री, दिनेश, और बबली है, जिन्हें वादिया ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है एवं इसी प्रकार प्रति0 संख्या 4 बुद्धाराम पुत्र स्व0 टोडू के अलाबा स्व0 टोडू पुत्र जबाली के दो पुत्रिया राजवती व रामवती को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। हम प्रतिवादीगण के पडबाबा जबाली की पुत्री स्वर्गवासी हरभेजी के पुत्र भगवानसिंह व नाती सूरज पुत्र गोविन्द सिंह तथा नातिनी इन्द्रा पुत्री हीरासिंह को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है जो मुकदमा में आवश्यक पक्षकार है इसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। वादिया व उसका पति तोतासिंह प्रौपर्टी डीलर है जो आवासीय प्लाटिंग का धन्धा करते है जिनके गांव गोलपुरा मे हम प्रतिवादीगण के गांव सौनोठी के कई अन्य लोगों की रिश्तेदारियां होने से हम प्रतिवादीगण के पिता व पति प्रतिवादी संख्या 2 गोपाल की वादिया व उसके पति तोतासिंह से जान पहचान हो गई और हम प्रति0 के पिता व पति प्रति0 सं0 2 गोपाल ने अपने जीवनकाल में वादिया व उसके पति तोतासिंह से वहां दो आवासीय प्लॉट खरीद कर उनकी पूरी खरीद रकम वादिया व उसके पति तोतासिंह को अदा कर दी और उनकी कोई हमारे पिता व पति गोपाल के जिम्मे बकाया नहीं रही परन्तु बादिया व उसके पति तोतासिंह ने उक्त खरीदे गये प्लॉटों का हमारे पिता व पति गोपाल के नाम तत्काल वयनामा नहीं कराया और कहा कि अभी हमारे अन्य प्लाट बिक रहे है इन सबके साथ तुम्हारे दोनों प्लाटों का वयनामा तुम्हारे नाम करा देंगें परन्तु वादिया व उसके पति

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

तोतासिंह ने गोपाल द्वारा खरीदे गये प्लॉटों को अन्य दीगर व्यक्तियों को पुनः व्यय कर वयनामा करा दिया। जब प्रति0 संख्या 2 ने उक्त खरीदे गये प्लॉटों की पूरी राशी ब्याज सहित अदा करने के लिये वादिया एवं उसके पति को कहा तो उनके द्वारा प्लॉट एवं रकम देने से इन्कार कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1,4 व 5 के साथ दुरूभिसंधि करके षडयन्त्र पूर्वक अपने को पूर्वज मृतक जबाली की झूठी पुत्री होना बताकर हमारी खेती जमीन को हडपने के लिये झूठा दावा पेश किया है। दावा वादिया खारिज किये जाने का निवेदन किया है। दावा एवं जबाव दावा के आधार पर उक्त प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादिया अयोध्यादेवी मृतक जबाली की पुत्री है और वह जबाली की छोडी हुई आराजी में अपने को 1/3 हिस्सा आराजी बाबत् खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। ....वादिया
2. आया वादिया को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 07.02.2015 को तथाकथित धमकी दी गई है और वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पाबन्द करा पाने की अधिकारी है। ....वादिया
3. आया वादिया विवादित आराजी का विभाजन करा पाने की अधिकारी है। ....वादिया
4. आया वादिया द्वारा जबाव दावा की मद सं0 12,13 व 14 के अनुसार आवश्यक पक्षकारान को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके अभाव में दावे में प्रभावी डिक्री पारित नहीं हो सकती है। ....प्रतिवादीगण
5. अनुतोष

बादी ने वाद के समर्थन में ग्राम सोनोठी की नामान्तरकरण पंजिका की प्रमाणित प्रति EX-1, सम्बत् 2019–2022 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति EX-2, जमाबंदी सम्बत् 2067–2070 की फोटोप्रति EX-3, सरपंच ग्राम पंचायत भैंसा पंचायत समिति रूपवास भरतपुर द्वारा दिनांक 20. 01.2016 को जारी वारिस प्रमाण पत्र EX-4 प्रस्तुत किये एवं मौखिक साक्ष्य पी डब्लू–1 अयोध्यादेवी, पी डब्लू–2 बनय सिंह के करवाये।

प्रतिवादीगण ने उक्त वादपत्र में गोपाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति EXD-1, तोतासिंह व गोपाल सिंह के मध्य हुये इकरारनामा दिनांक 12.09.2007 की फोटोप्रति EXD-2, नक्शा भूखण्ड ख0नं0 1025 बाके ग्राम गोलपुरा तह0 का जिला की फोटोप्रति EXD-3, प्रस्तुत किये एवं मौखिक साक्ष्य डी. डब्लू–1 नरेन्द्र,डी डब्लू–2 समरसिंह, डी डब्लू–3 समन्दर के करवाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं जबाव दावा, शपथ पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कानूनी प्राबधानों के परिप्रेक्ष्य में समुचित विवेचन के पश्चात गुणावगुण पर निम्न प्रकार से तनकीयात का निर्णय किया जाता है–

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

तनकी नम्बर–1:– अभिभाषक वादिया ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादिया के पिता जवाली की छोडी हुई आराजी है। वादिया के पिता जबाली ने अपनी मृत्योपरान्त अपने पुत्र घीसा, टोडू व पुत्री अयोध्यादेवी को बतौर वारिसान छोडा था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के पिता घीसा व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता टोडू ने राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत भैंसा से सांठगांठ कर वादपत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरकरण पटवार कागजात में वादिया की जानकारी के बिना ही अपने नाम दर्ज करा लिया है। जबकि आराजी विवादित पैत्रिक आराजी है एवं उक्त आराजी में वादिया 1/3 हिस्सा का अधिकार रखती है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक वादिया द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य EX-1 नामान्तरकरण पंजिका ग्राम सौनोठी की प्रमाणित प्रतिलिपी, EX-2 सम्बत् 2019–2022 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति , EX-3जमाबंदी सम्बत् 2067–2070 की फोटोप्रति, EX-4 सरपंच ग्राम पंचायत भैंसा पंचायत समिति रूपवास भरतपुर द्वारा दिनांक 20.01.2016 को जारी वारिस प्रमाण पत्र का अवलोकन कराया एवं वादपत्र वादिया डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में वादिया को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 2/1 लगा0 2/8 ने जबाव प्रर्थाना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादिया ने उक्त वादपत्र झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के परिवार की सदस्य बनकर पेश किया गया है। उक्त वादपत्र के साथ वादिया द्वारा प्रदर्शित सजरा गलत व अधूरा है। जबकि सच्चाई यह है कि वादिया एवं वादिया के पति तोतासिंह प्रौपर्टी डीलर है जो आवासीय प्लाटिंग का धन्धा करते है जिनके गांव गोलपुरा मे हम प्रतिवादीगण के गांव सौनोठी के कई अन्य लोगों की रिश्तेदारियां होने से हम प्रतिवादीगण के पिता व पति प्रतिबादी संख्या 2 गोपाल की वादिया व उसके पति तोतासिंह से जान पहचान हो गई और हम प्रति0 के पिता व पति प्रति0 सं0 2 गोपाल ने अपने जीवनकाल में वादिया व उसके पति तोतासिंह से वहां दो आवासीय प्लॉट खरीद कर उनकी पूरी खरीद रकम वादिया व उसके पति तोतासिंह को अदा कर दी और उनकी कोई हमारे पिता व पति गोपाल के जिम्मे बकाया नहीं रही परन्तु बादिया व उसके पति तोतासिंह ने उक्त खरीदे गये प्लॉटों का हमारे पिता व पति गोपाल के नाम तत्काल वयनामा नहीं कराया और कहा कि अभी हमारे अन्य प्लाट बिक रहे है इन सबके साथ तुम्हारे दोनों प्लाटों का वयनामा तुम्हारे नाम करा देंगें परन्तु वादिया व उसके पति तोतासिंह ने गोपाल द्वारा खरीदे गये प्लॉटों को अन्य दीगर व्यक्तियों को पुनः व्यय कर वयनामा करा दिया। जब प्रति0 संख्या 2 ने उक्त खरीदे गये प्लॉटों की पूरी राशी ब्याज सहित अदा करने के लिये वादिया एवं उसके पति को कहा तो उनके द्वारा प्लॉट एवं रकम देने से इन्कार कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 1,4 व 5 के साथ दुरूभिसंधि करके षडयन्त्र पूर्वक अपने को पूर्वज मृतक जबाली की झूठी पुत्री होना बताकर हमारी खेती जमीन को हडपने के लिये झूठा दावा पेश किया है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य EXD-2 तोतासिंह व गोपाल सिंह के मध्य हुये इकरारनामा दिनांक 12.09.2007 की फोटोप्रति, EXD-3 नक्शा भूखण्ड ख0नं0 1025 बाके

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

ग्राम गोलपुरा तह0 का जिला की फोटोप्रति का अवलोकन कराया एवं वाद पत्र वादिया खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्बत् 2019–2022 एवं नामान्तरकरण पंजिका ग्राम सौनोठी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी मृतक जबाली की छोडी हुयी आराजी है। पत्रावली पर वारिसान से संबंधित एकमात्र दस्ताबेज सरपंच ग्राम पंचायत भैंसा पंचायत समिति रूपवास भरतपुर द्वारा दिनांक 20.01.2016 को जारी वारिस प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया मृतक जबाली की वारिसान है हालाकि सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र पूर्णतः वैध एवं सम्पूर्ण दस्तावेज नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त वादपत्र के साथ ऐसा कोई कोई दस्ताबेज या सजरा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट हो सके की वादिया मृतक जबाली की वारिसान नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 12.09.2007 से यह साबित नहीं होता है कि वादिया मृतक जबाली की पुत्री नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत भैंसा द्वारा दिनांक 20.01.2016 को जारी वारिस प्रमाण पत्र ही एकमात्र दस्ताबेज उक्त पत्राबली में उपलब्ध है जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादिया मृतक जबाली की वारिसान है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक बयान पी डब्लू–1 का अवलोकन किया गया उक्त मौखिक बयानात में वादिया द्वारा कथन किया गया कि मृतक जबाली की एक अन्य पुत्री हरभेजी भी थी जिसका स्वर्गवास हो गया है एवं उसके वारिसान आज भी जीवित है जिनको कि उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताबेजात एवं साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि मृतक जबाली के चार 'वारिसान(दो पुत्र एवं दो पुत्रियां) थी। वादिया वाद पत्र में वर्णित आराजी में अपने को हिस्सा 1/4 की खातेदार घोषित कराने की अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–2:– चुंकि तनकी नम्बर 1 वादिया के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः तनकी नम्बर 1 के अनुसार में उक्त तनकी भी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–3:– वादिया द्वारा अपने बयान पीडब्लू–1 में स्वयं स्वीकार किया है कि मृतक जबाली की एक और पुत्री थी जिसके वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है एवं विवादित आराजी में खातेदार घोषित हुए बिना स्वामित्व उत्पन्न नहीं होता है और स्वामित्व के अभाव व बिना किसी खातेदारी के विभाजन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजी का कानूनी रूप से विभाजन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तनकीयात वादिया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर–4:– वादिया द्वारा उक्त वादपत्र अपने पिता की छोडी हुयी आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने बाबत् पेश किया है। अतः तनकी नम्बर 1 के अनुसरण में उक्त तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सभी तनकीयात का निर्णय पृथक–पृथक किया जा चुका है। वादपत्र वादिया आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अतः आदेश है:-

वादपत्र वादिया आंशिक डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 255 रकवा 4 बीघा 10 विस्वा, 273 रकवा 2 बीघा 16 विस्वा, 301 रकवा 4 बीघा 08 विस्वा, 296 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा, 299 रकवा 2 बीघा 14 विस्वा, कुल किता 5 कुल रकवा 15 बीघा 17 विस्वा बाके ग्राम सोनोठी तहसील रूपवास हाल उच्चैन(मुताबिक जमाबंदी 2067-2070) में वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन,भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

अयोध्यादेवी बनाम रामेश्वरी वगैरह

दावा बाबत् धारा 53, 88, 89, 188 R.T.A

मुकदमा नं. 09/2015 , सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री घनश्याम धाकड़ एड0 मिनजानिब

श्री दुलीचंद शर्मा एड0 मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादिया आंशिक डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा 255 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 273 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 301 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, 296 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, 299 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सीतोरी तह0 रुपवास हाल उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी 2067–2070) के वादिया को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

आज............ मुबलिग............ बाबत्............

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक............ का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 05 वर्ष 2026

को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

ओहदा............

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर.........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 09/2015

1. अयोध्यादेवी पुत्री जबाली धर्मपत्नि तोतासिंह जाति गोला ठाकुर निवासी ग्राम सोनोठी तहसील रूपवास हाल उच्चैन हाल निवासी सुभाष कोलोनी राधानगर भरतपुर जिला भरतपुर।

................वादिया

बनाम

1. रामेश्वरी धर्मपत्नि पूरन
2. गोपाल पुत्र घीसा(मृतक)
   2/1. गुड्डीदेवी पत्नि गोपाल
   2/2. नरेन्द्र उर्फ पंकज पुत्र गोपाल
   2/3. मनीष नाबालिग जरिये सरपस्त माता गुड्डीदेवी
   2/4. संतोष
   2/5. आरती
   2/6. अनीता
   2/7. रजनी पुत्रीयान गोपाल
   2/8. सौनिया नाबालिग जरिये सरपरस्त माता गुड्डीदेवी
3. चन्दन पुत्र घीसा
4. बुद्धाराम पुत्र टोडू
5. अंगूरी धर्मपत्नि टोडू(मृतक) समस्त जातियान गोला ठाकुर निवासी सौनोठी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53,88,89,188 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)